उत्तर प्रदेश शासन
कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग-2
संख्या- 70/2017/640/अस्सी-2-2017-2(12)/2000
लखनऊ दिनांक 28 दिसम्बर, 2017

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने, प्रदेश में अवस्थापना सुविधाओं को विकसित करने, रोजगार के अतिरिक्त अवसर सुलभ कराने, देश व प्रदेश की कृषि आधारित अर्थ-व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा विदेशी मुद्रा अर्जित करने के निमित्त प्रदेश से चावल के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यालय-ज्ञाप संख्या-662/अस्सी-2-2017-2(12)/2000 दिनांक 15 दिसम्बर, 2017 द्वारा जारी की गयी नीति को तत्काल प्रभाव से अवक्रमित करते हुए "उत्तर प्रदेश चावल निर्यात प्रोत्साहन योजना (2017-2022)" लागू किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उक्त प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत प्रदेश के चावल निर्यातकों को निम्नलिखित सुविधाएं अनुमन्य होगी:-

(1) इस योजना को "उत्तर प्रदेश चावल निर्यात प्रोत्साहन योजना (2017-22)" कहा जायेगा ।

(2) यह योजना दिनांक 07-11-2017 से दिनांक 06-11-2022 तक लागू होगी ।

(3) उक्त योजना के अन्तर्गत देय मण्डी शुल्क व विकास सेस की छूट के बराबर की धनराशि की बैंक गारन्टी निर्यातक के द्वारा मण्डी समिति में जमा करवायी जायेगी, जिसे निर्यात दायित्व सिद्ध होने पर 30 दिन के भीतर अवमुक्त कर दिया जाएगा ।

(4) निर्यात दायित्व सिद्ध न होने पर सम्बन्धित मण्डी के सचिव के द्वारा निदेशक, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार को प्रकरण संदर्भित किया जायेगा, जिसके द्वारा बैंक गारन्टी की धनराशि मण्डी के पक्ष में जब्त करने के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा ।

(5) कृषि उत्पादन मण्डी परिषद की समितियों द्वारा चावल निर्माता-निर्यातकों को गेटपास निर्गत करने में लगने वाले समय से राहत देने हेतु चावल निर्माता-निर्यातकों को एडवांस गेटपास बुक मण्डी द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। इसके लिए चावल निर्माता-निर्यातकों को प्रत्येक माह पारेषित की जाने वाली चावल की औसत मात्रा पर देय मण्डी शुल्क व विकास सेस की धनराशि के समतुल्य मूल्य की बैंक गारन्टी प्रस्तुत करने पर मण्डी समिति द्वारा एडवांस गेटपास पुस्तिका उपलब्ध कराई जायेगी तथा निर्यातित चावल की मात्रा के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

सत्यापन हेतु नजदीकी पंजीकृत धर्मकांटा की रसीद चावल निर्माता-निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत की जायेगी। चावल निर्माता-निर्यातक मण्डी से प्राप्त एडवांस गेटपास बुक से स्वयं गेटपास जारी करेगा और उसकी प्रति मण्डी समिति को अगले कार्य दिवस में उपलब्ध करायेगा ।

(6) प्रदेश के चावल उत्पादक/निर्यातक को निर्यात दायित्व सिद्ध करने हेतु निर्यात किये गये चावल से सम्बन्धित बिल आफ लेडिंग, शिपमेन्ट बिल एवं शासन द्वारा समय-समय पर निर्यात दायित्व सिद्ध किये जाने हेतु जारी किये जाने वाले आवश्यक प्रपत्र की प्रमाणित प्रतियां सम्बन्धित मण्डी समिति में प्रस्तुत करनी होगी ।

(7) डायरेक्ट निर्यातक, यदि किसान या किसान उत्पादक संघ (FARMER PRODUCER ORGANISATION) से सीधे क्रय करता है तो उसे 2.5 प्रतिशत की छूट एवं आढ़तियों के माध्यम से खरीदने पर केवल मण्डी शुल्क की 02 प्रतिशत की छूट दी जायेगी ।

(8) इनडायरेक्ट निर्यातक को सीधे किसान या किसान उत्पादक संघ के क्रय करने पर मण्डी शुल्क की 02 प्रतिशत छूट एवं आढतियों के माध्यम से खरीदने पर मण्डी शुल्क की 1.5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी ।

(9) डायरेक्ट निर्यातकों के द्वारा एपीडा (कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण), जो भारत सरकार की संस्था है, में कराये गये पंजीकरण को मान्यता दी जायेगी। उन्हें प्रदेश में पृथक से कोई पंजीकरण नहीं कराना होगा ।

(10) इनडायरेक्ट निर्यातकों को शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप पंजीकरण कराना होगा ।

2- सामान्यत: धान में चावल तथा भूसी का अनुपात क्रमश: 2/3 एवं 1/3 होता है इस प्रकार धान से चावल का आदर्श रिकवरी मानक 66.66 प्रतिशत है, परन्तु निर्यात दायित्व (एक्सपोर्ट आब्लीगेशन) निर्धारित करने के परिप्रेक्ष्य में बासमती एवं नान बासमती चावल के लिए यह व्यवस्था निम्नानुसार होगी :-

(1) बासमती चावल का निर्यात दायित्व सिद्ध करने हेतु धान से चावल की रिकवरी का न्यूनतम मानक 45.00 प्रतिशत निर्धारित किया जाता है। यदि चावल मिलर/निर्माता चाहे तो वह धान से प्राप्त किये गये चावल को उक्त निर्धारित न्यूनतम मानक 45.00 प्रतिशत से अधिक मात्रा में आदर्श रिकवरी 66.66 प्रतिशत की सीमा तक भी निर्यात कर सकता है, परन्तु आदर्श रिकवरी मानक और वास्तविक रूप से निर्यातित चावल के अन्तर की मात्रा को स्थानीय/आन्तरिक बिक्री माना जायेगा और इस अन्तर की मात्रा की बिक्री पर नियमानुसार मण्डी शुल्क एवं विकास सेस देय होगा। निर्धारित न्यूनतम मानक

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

45.00 प्रतिशत की सीमा से कम मात्रा में निर्यात करने पर निर्यातक को मण्डी शुल्क तथा विकास सेस से छूट का लाभ अनुमन्य नहीं होगा ।

(2) नान-बासमती चावल का निर्यात दायित्व सिद्ध करने हेतु धान से चावल की रिकवरी का न्यूनतम मानक 50.00 प्रतिशत निर्धारित किया जाता है। यदि चावल मिलर/निर्माता चाहे तो वह धान से प्राप्त किये गये चावल को उक्त निर्धारित न्यूनतम मानक 50.00 प्रतिशत से अधिक मात्रा में आदर्श रिकवरी 66.66 प्रतिशत की सीमा तक भी निर्यात कर सकता है, परन्तु आदर्श रिकवरी मानक और वास्तविक रूप से निर्यातित चावल के अन्तर की मात्रा को स्थानीय/आन्तरिक बिक्री माना जायेगा और इस अन्तर की मात्रा की बिक्री पर नियमानुसार मण्डी शुल्क एवं विकास सेस देय होगा। निर्धारित न्यूनतम मानक 50.00 प्रतिशत की सीमा से कम मात्रा में निर्यात करने पर निर्यातक को मण्डी शुल्क तथा विकास सेस से छूट का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

3- चावल निर्यात के लिए धान क्रय करने के समय से चावल के वास्तविक निर्यात किये जाने के मध्य समय लगना स्वभाविक है। निर्यात के दौरान मण्डी समिति के लिए समय-समय पर निर्धारित नियमों एवं व्यवस्थाओं का चावल निर्माता-निर्यातकों द्वारा अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

4- मण्डी परिषद से सम्बन्धित निर्यात दायित्व को सिद्ध करने के सम्बन्ध में जिन मामलों में मिलर/निर्यातक द्वारा स्वयं निर्यात किया जा रहा है, उनमें मण्डी समिति द्वारा गेटपास कटने के 180 दिनों के अन्दर बिल आफ लेडिंग, शिपमेन्ट बिल एवं शासन द्वारा समय-समय पर निर्यात दायित्व सिद्ध किये जाने हेतु जारी किये जाने वाले आवश्यक प्रपत्रों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं भुगतान प्राप्ति विवरण का प्रकरण सम्बन्धित मण्डी समिति को प्रस्तुत करने पर उनका निर्यात दायित्व पूर्ण माना जायेगा। यदि मिलर उक्त प्रतियॉ निर्धारित अवधि में देने के लिए असमर्थ होता है, तो बैंक गारन्टी के विपरीत उसको 90 दिनों का और अधिक समय दिया जा सकता है। उपरोक्त सभी अभिलेख प्रस्तुत करने पर उसका निर्यात दायित्व पूर्ण मान लिया जायेगा। यदि चावल का वास्तविक निर्यात नहीं किया जाता है तो सम्बन्धित विभागों के नियमों के अधीन मिलर के विपरीत मूल राशि ब्याज सहित वसूली के साथ-साथ दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी ।

5- निर्यातक द्वारा निर्यात की पूर्व सूचना सम्बन्धित मण्डी समिति को लिखित रूप में देनी होगी । प्रदेश के चावल का निर्यात देश के किसी भी बन्दरगाह, वायुमार्ग तथा प्रदेश की सीमाओं पर निर्दिष्ट थल मार्ग से किया जायेगा । ऐसा न करने पर चावल निर्माता-निर्यातकों को निर्यात नीति की सुविधाएं अनुमन्य नहीं होगी ।

6- उत्तर प्रदेश से समस्त प्रकार के चावल का निर्यात विश्व के किसी भी देश को इस नीति के अन्तर्गत किया जा सकता है, चाहे उस देश के साथ व्यापार विदेशी मुद्रा में हो रहा हो अथवा नेपाल तथा बांग्लादेश जैसे देशों में, जिनके साथ भारतीय मुद्रा में व्यापार हो रहा है, को भी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

चावल निर्यात किया जा सकता है और ऐसे निर्यात को उत्तर प्रदेश चावल निर्यात प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत प्रदत्त समस्त सुविधाएं अनुमन्य होंगी ।

7- इस नीति के कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाईयों के निवारण हेतु प्रमुख सचिव/सचिव, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग की अध्यक्षता में निम्नलिखित समिति होगी, जो समय-समय पर नियमित रूप से त्रैमासिक आधार पर बैठक करेगी तथा चावल निर्माता-निर्यातकों के समक्ष निर्यात में आने वाली व्यवहारिक कठिनाईयों का निवारण करेगी:-

1.	प्रमुख सचिव/सचिव, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग, उ0प्र0 शासन ।	अध्यक्ष
2.	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त/ प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग/सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग द्वारा नामित अधिकारी।	सदस्य
3.	प्रमुख सचिव/सचिव, कृषि विभाग अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी ।	सदस्य
4.	प्रमुख सचिव/सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी ।	सदस्य
5.	प्रमुख सचिव/सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी ।	सदस्य
6.	उत्तर प्रदेश राइस मिलर्स एसोसिएशन के एक प्रतिनिधि ।	सदस्य
7.	निदेशक, मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।	सदस्य
8.	निदेशक, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।	सदस्य/संयोजक

8- इस योजना के अन्तर्गत चावल निर्माता-निर्यातकों को मण्डी शुल्क एवं विकास सेस की छूट के प्रकरण पर सम्बन्धित कृषि उत्पादन मण्डी समिति द्वारा छूट अनुमन्य करायी जाती है। सम्बन्धित मण्डी समितियों द्वारा छूट के प्रकरणों पर लिये गये निर्णय पर असहमति की दशा में चावल निर्माता-निर्यातक, निदेशक, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार उत्तर प्रदेश लखनऊ को प्रत्यावेदन दे सकते है। निदेशक, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार द्वारा चावल निर्माता-निर्यातकों के प्रत्यावेदन पर दिये गये निर्णय के विरूद्ध शासन स्तर पर पुनर्विचार हेतु चावल निर्माता-निर्यातक अपना प्रत्यावेदन दे सकते हैं। शासन स्तर पर लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

अमित मोहन प्रसाद
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 70/2017/(1)/640(1)/अस्सी-2-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
2- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ।
3- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन ।
4- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
5- कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन ।
6- औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन ।
7- प्रमुख सचिव/सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग को इस निवेदन के साथ कि कृपया अपने अधीनस्थ अधिकारियों को प्रोत्साहन योजना के अनुपालन हेतु समुचित निर्देश निर्गत करते हुए इस विभाग को निर्गत किए गये निर्देशों से अवगत कराने का कष्ट करें।
8- प्रमुख सचिव/सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग को इस निवेदन के साथ कि कृपया अपने अधीनस्थ अधिकारियों को प्रोत्साहन योजना के अनुपालन हेतु समुचित निर्देश निर्गत करते हुए इस विभाग को निर्गत किए गये निर्देशों से अवगत कराने का कष्ट करें।
9- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
10- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
11- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
12- निदेशक, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार, लखनऊ को इस आशय के साथ कि वे कृपया इस प्रोत्साहन योजना से समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को अवगत कराने का कष्ट करें।
13- निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0, लखनऊ ।
14- कृषि निदेशक, उ0प्र0, कृषि भवन लखनऊ।
15- अपर कृषि निदेशक (चावल) कृषि भवन लखनऊ ।
16- आयुक्त, वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
17- खाद्य आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि समस्त क्षेत्रीय खाद्य नियन्त्रक, उत्तर प्रदेश को अपने स्तर से कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
18- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 निर्यात निगम कानपुर ।
19- अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, 12 सी, माल एवेन्यु लखनऊ।
20- निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क, उ0प्र0 को प्रोत्साहन योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु।
21- उद्योग निदेशक, उ0प्र0 कानपुर ।
22- स्थानिक आयुक्त, 401 अम्बादीप, 10 कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली ।
23- सचिव, भारत सरकार, विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली।
24- सचिव, भारत सरकार, वाणिज्य मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली ।
25- सचिव, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

26- सचिव, भारत सरकार, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली ।

27- निर्यात आयुक्त, कार्यालय महानिदेशक, विदेश व्यापार, भारत सरकार कक्ष संख्या-11, उद्योग भवन, नई दिल्ली।

28- अध्यक्ष, आल इण्डिया राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन, पी0एच0डी0 चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, पी0एच0डी0 हाउस (चतुर्थ तल) फेज-1 एशियन गेम्स काम्पलेक्स के पीछे, नई दिल्ली ।

29- अध्यक्ष, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद विकास प्राधिकरण (एपीडा) तीसरी मंजिल, एन0 सी0यू0आई0 बिल्डिंग, अगस्त क्रान्ति मार्ग, नई दिल्ली।

30- अध्यक्ष, यू0पी0 राइस मिलर्स एसोसिएशन, हेड आफिस 2/10, कलेक्टरगंज (शक्कर पट्टी) कानपुर।

31- निदेशक, दूरदर्शन लखनऊ।

32- निदेशक, आकाशवाणी लखनऊ।

33- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस विज्ञप्ति का प्रकाशन आगामी असाधारण राजपत्र में कराते हुए विज्ञप्ति की 2000 (दो हजार) प्रतियाँ इस अनुभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

34- गार्ड फाईल।

आज्ञा से

सर्वजीत राम
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।